20.1.25 पत्रावली पेश। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण के सभी नोटिस शुदा दावा में तामील पेश। परन्तु नोटिस तामिली के उपरान्त भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ~~[illegible]~~ दावा में वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 170 रकबा 3.72 हे. भूमि में 1/3 हिस्सा प्रार्थी का बना हुआ है। जिस पर प्रत्येक हिस्से पर ~~[illegible]~~ सामलाती छप्पर व कच्चा सिविट है। जिसे अप्रार्थीगण रानिवाड़ा सांचौर रोड पर स्थित जमीन होने से ऊँचे दर पर विक्रय कार्य कर प्रार्थी को अपने हक से बेदखल करना चाहते है। अगर अप्रार्थीगण ऐसा करने में ~~सफल~~ हो गए तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आकलन रुपयों में किया जाना मुमकिन नहीं होगा। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की है अतः कोमन प्रकृति का कब्जा या कुछ का सहकब्जा प्रार्थी के पक्ष में समाप्त आता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद तक इस आशय की जारी है कि मौजा दावा ~~[illegible]~~ खातेदारी खसरा संख्या 170 रकबा 3.72 हे. आराजी पर अप्रार्थीगण ~~[illegible]~~ यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली ~~[illegible]~~ नम्बर से कम की पाबन्द दाखिल दफ्तर हो।

(पी.)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:15:21
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner